उद्यमिता विकास संस्थान, उ.प्र., लखनऊ

(सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन)

Institute of Entrepreneurship Development U.P., Lucknow

(MSME & Export Promotion, Govt. of U.P.)

ए–1 व 2, औद्योगिक क्षेत्र, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ–226008

दूरभाषः 0522–2476012, फैक्सः 0522–2476055 website: www.iedup.in

E-mail: director.ied@gmail.com

पत्रांक :D-1256/2018-19

दिनांकः 29.10.2018

रूचि की अभिव्यक्ति हेतु अनुरोध
विहान आवासीय विद्यालय (बालक/बालिका) योजना एंव अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं का इम्पैनलमैण्ट

संस्थान उत्तर प्रदेश के इटावा, मुरादाबाद, आजमगढ़ एवं कन्नौज जनपदों में 06 से 14 वर्ष के बच्चों को विहान आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने हेतु योग्य एंव अनुभवी क्रियान्वयन एजेन्सी/स्वैच्छिक संस्थाओं की रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2018 की सांय 5:00 बजे तक आमन्त्रित करता है। पूर्ण विवरण एंव आवेदन प्रोफार्मा संस्थान की Website पर उपलब्ध है। Website-www.iedup.in

परियोजना प्रमुख

विषय–सारिणी

01. परिचय 04

1.1) योजना 04

1.2) पृष्ठभूमि 04

1.3) उद्देश्य 04

1.4) लक्ष्य 04

1.5) बच्चों का चयन 04

1.6) पाठ्यक्रम 04

1.7) संचालन व्यवस्था 05

1.8) विद्यालय परिसर एवं आवास 06

1.9) भोजन 06

1.10) पाठ्य पुस्तक 07

1.11) बजट प्रावधान 07

02. प्रस्तावित आमंत्रण का विवरण 09

2.1) संस्थान द्वारा सीधे किये जाने वाले कार्य 09

2.2) चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं से अपेक्षित कार्य 09

2.3) आवासीय विद्यालय योजना के सफल संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं का अनुश्रवण एवं नियंत्रण 11

03. सामान्य सूचनायें एवं विवरण 12

3.1) स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबन्ध की अवधि 12

3.2) स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हता एवं पात्रता 12

3.3) स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन एवं मानक 12

3.4) विद्यालय संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान प्रक्रिया 16

3.5) आवेदन प्रक्रिया 16

04. आवेदन पत्र का प्रारूप 18

<u>उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ</u>

उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा स्थापित प्रदेश का शीर्ष संस्थान है, विगत 31 वर्षों से उद्यमीय संस्कृति के विकास में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। संस्थान अपनी प्रभावी प्रशिक्षण रणनीति के माध्यम से राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभागों/संस्थाओं के सहयोग से कौशल अभिवृद्धि, मानव संसाधन विकास एवं स्वरोजगार आधारित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। संस्थान द्वारा लगभग 9000 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 3.50 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि संस्थान विगत कई वर्षों से **बेसिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालयों में प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्यक्रम, नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कौशल विकास कार्यक्रम तथा मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण के सत्यापन कार्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिवाइज्ड व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में योजना का संचालन किया है। साथ ही साथ यूनीसेफ (उ0प्र0 कार्यालय) के साथ शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।**

संस्थान के विगत 31 वर्षो के अनुभवों को देखते हुये उ0प्र0 सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 में मानव संसाधन विकास हेतु संस्थान को **"Center of Excellence"** घोषित किया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए संस्थान अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। संस्थान द्वारा प्रमुखतः किशोर एवं युवा वर्ग हेतु उद्यमिता, कौशल विकास, आय सृजन गतिविधियां एवं व्यवसाय परक कौशल एवं जीवन कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के साथ ही विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों, शिक्षक प्रशिक्षक एवं फील्ड फंक्शनरी को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसी क्रम में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा संस्थान को प्रदेश के 04 जनपदों क्रमशः आजमगढ़, मुरादाबाद, कन्नौज एवं इटावा में आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत 08 विद्यालय (बालक/बालिका) के संचालन का उत्तरदायित्व दिया गया है।

1– परिचय

1.1) योजना–

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आवासीय विद्यालय योजना।

1.2) पृष्ठभूमि–

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारो के बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न जनपदों में आवासीय विद्यालय योजना चलाई जा रही है। जिसमें पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कराकर उन्हें पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश दिला कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में से एक प्रमुख योजना आवासीय विद्यालय योजना है। इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराकर उन्हें माध्यमिक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु तैयार कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

1.3) उद्देश्य–

- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण निर्माण करना।
- निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष वय वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
- पूर्व माध्यमिक शिक्षा के साथ जीवन कौशल शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना।

1.4) लक्ष्य–

- चयनित जनपद के 06 से 14 वर्ष के अधिकतम 100 ऐसे बच्चे (बालक/बालिका) जिनके माता–पिता/अभिभावक श्रम विभाग उ0प्र0 में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है को विद्यालय में प्रवेश देना।
- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 06 से 08 तक की शिक्षा प्रदान करना।
- जिन बच्चों को कक्षा 05 तक की शिक्षा का अवसर नहीं मिला है, उनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 06 के लिए तैयार करना।

1.5) बच्चों का चयन

उपरोक्त अर्हताओं वाले बच्चों का चयन स्वयंसेवी संस्था/शिक्षकों के द्वारा सम्बन्धित समुदायों/बच्चों के अभिभावकों की सहमति से किया जायेगा। बच्चों के चयन में स्थानीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

1.6) पाठ्यक्रम–

बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।

1.7) संचालन व्यवस्था

1.7.1) मानव संसाधन (प्रति विद्यालय)

क्र.सं.	नाम/पद	पदों की संख्या	निर्धारित शैक्षिक योग्यता
1.	विद्यालय अधीक्षक (पूर्णकालिक)	01	प्रशिक्षित स्नातक
2.	भाषा शिक्षक (अंग्रेजी, हिन्दी) (पूर्णकालिक)	02	प्रशिक्षित स्नातक
3.	गणित शिक्षक (पूर्णकालिक)	01	प्रशिक्षित स्नातक
4	सामाजिक विषय शिक्षक(पूर्णकालिक)	01	प्रशिक्षित स्नातक
5.	दिवस शिक्षक (भाषा, गणित एवं पर्यावरण शिक्षक)	03	प्रशिक्षित स्नातक
6.	उर्दू शिक्षक (अंशकालिक)	01	स्नातक के साथ सम्बंधित विषय में डिप्लोमा
7.	लेखाकार	01	बी–काम एवं एकाउन्टिंग का अनुभव
8.	मुख्य रसोइयां	01	हाई स्कूल
9.	सहा0 रसोइयां	02	कक्षा 5
10	सहयोगी स्टाफ (चौकीदार/चपरासी/आया) पूर्णकालिक	03	हाईस्कूल
11.	स्वीपर	01	कक्षा 5
	योग	**17**	

1.7.2)आवासीय विद्यालय की समय–सारिणी

क्रम सं0	विवरण	समय
1	जागरण	5:00 बजे प्रातः
2	प्रार्थना/योग	6:00 बजे से 6:30 बजे प्रातः
3	परिवेशीय स्वच्छता	6:30 बजे से 7:30 बजे प्रातः
4	नाश्ता	7:30 बजे से 8:00 बजे प्रातः
5	शिक्षण सत्र (प्रथम)	9:00 बजे से 11:45 बजे
6	चाय	11:45 बजे से 12:00 बजे
7	शिक्षण	12:00 बजे से 1:30 बजे
8	भोजन	1:30 बजे से 2:15 बजे
9	शिक्षण सत्र (द्वितीय)	2:15 बजे से 4:00 बजे
10	चाय	4:00 बजे से 4:15 बजे
11	शिक्षण	4:15 बजे से 6:00 बजे सायं
12	खेल कूद एवं अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप	6:00 बजे से 7:00 बजे सायं
13	सांस्कृतिक कार्यक्रम	7:00 बजे से 8:20 बजे रात्रि
14	भोजन	8:45 बजे से 09:30 बजे रात्रि

1.8) विद्यालय परिसर एवं आवास –

1.8.1) भवन–

अ) शैक्षणिक भवन

प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कम से कम 05 कक्ष होंगे, जिनमें से 01 कक्ष अध्यापकों के लिए, 01 कक्ष कार्यालय के लिये तथा 03 कक्ष बच्चों की शिक्षा के उपयोग के लिये होंगे। प्रथम दो कक्ष 15X20 वर्ग फीट क्षेत्रफल के तथा शेष कक्ष 25X25 वर्ग फीट क्षेत्रफल के होंगे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 03 शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन का होना आवश्यक है।

ब) आवासीय भवन

आवासीय विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक–पृथक छात्रावास की व्यवस्था होगी। ऐसे प्रत्येक आवास/कक्ष/डारमेट्री कम से कम 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल का होगा। छात्र/छात्राओं के लिए कम से कम 3–3 पृथक–पृथक शौचालय एवं स्नानगृह होंगे। प्रत्येक छात्रावास में 01 किचन होगा तथा कम से कम 1000 वर्गफीट का भोजनालय–कक्ष होगा। छात्रावास में कम से कम 15X20 वर्ग फीट का एक कक्ष वार्डेन के लिए होगा।

स). बिजली एवं प्रकाश हेतु विद्युत कनेक्शन, जनरेटर एवं इन्वर्टर की व्यवस्था।

द). परिवेश एवं सफाई की उत्कृष्ठ व्यवस्था।

1.8.2) चिकित्सा एवं उपचार सुविधाऐं–

आवासीय विद्यालय संचालन अवधि में सभी बच्चों को यथोचित स्वास्थ्य संरक्षण एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय (पी0एच0सी0)/राजकीय चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक दल द्वारा कराया जायेगा। परियोजना प्रमुख, उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 की देखरेख में उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

समय–समय पर बच्चों को चिकित्सकों से समुचित सलाह दिलाई जायेगी। डाक्टरों द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन, शुद्ध पानी, उपलब्ध कराने एवं शिविर की साफ–सफाई के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करायी जायेंगी तथा प्राथमिक उपचार के संबंध में वार्डेन व शिक्षक को सामान्य जानकारी दी जायेगी।

1.8.3) प्राथमिक उपचार (First Aid)

आवासीय विद्यालय में बच्चों के प्राथमिक उपचार हेतु प्रबंध अनिवार्यतः किया जायेगा, जिससे कि बच्चों का आकस्मिक रूप से प्राथमिक उपचार किया जा सके। उपचार में सामान्यतः निम्नवत् चिकित्सा सामग्रियाँ एवं दवाएं रखी जायेगी। जैसे– बेटाडिन लोशन, रूई, पट्टी, कैंची या ब्लेड, लिको–प्लास्ट, इलेक्ट्राल, ओ0आर0एस0, दर्द निवारक दवायें इत्यादि।

1.9) भोजन–

01. पूर्णतया निःशुल्क।
02. निर्धारित मेनू के अनुसार पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण।

1.10) पाठ्य पुस्तक–

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्क्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था जनपद के बी0एस0ए0 कार्यालय से सम्पर्क में रहकर छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा। पर्याप्त स्टेशनरी, कापी एवं गणित, विज्ञान सीखने में प्रयोग आने वाली शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

1.11) बजट प्रावधान–

अनावर्ती व्यय (प्रथम वर्ष)

क्र0 सं0	मद/विवरण	धनराशि (रू0 में)
01	वेडिंग व्यवस्था (गद्दा, रजाई, दरा, चटाई, बेड 100 बच्चों हेतु)	5,00,000.00
02	प्रकाश व्यवस्था व फर्नीचर–जनरेटर, पंखा, लाइट,सोलर इनवर्टर, टी0वी0, फ्रिज, आलमारी, आरो तथा कूलर आदि तथा कार्यालय का फर्नीचर व बच्चों के बैठकर पढ़ने हेतु फर्नीचर आदि	6,00,000.00
03	भोजन पकाने, खाने व गैस चूल्हा आदि तथा अन्य उपकरण	2,50,000.00
04	कम्यूटर साइंस लैब, लाइब्रेरी, टेलीफोन, सी0सी0 कैमरा व अन्य स्टील कैमरा एंव अन्य सामग्री	5,00,000.00
05	खेल–कूद व जूडो कराटे प्रशिक्षण सामग्री आदि	1,00,000.00
	योग	**19,50,000.00**

आवर्ती व्यय

(क) मानदेय–

क्रम सं0	मद/विवरण	संख्या	दर	अवधि	धनराशि
01	विद्यालय अधीक्षक/वार्डन (पूर्ण कालिक)	01	25000	12 माह	3,00,000.00
02	भाषा शिक्षक (अंग्रजी,हिन्दी) (पूर्ण कालिक)	02	20000	12 माह	4,80,000.00
03	गणित शिक्षक (पूर्ण कालिक)	01	20000	12 माह	2,40,000.00
04	समाजिक विषय शिक्षक (पूर्ण कालिक)	01	20000	12 माह	2,40,000.00
05	दिवस शिक्षक अंश कालिक	03	7200	12 माह	2,59,200.00
06	उर्दू शिक्षक	01	12000	12 माह	1,44,000.00
07	लेखाकार	01	10000	12 माह	1,20,000.00
08	मुख्य रसोइया	01	6000	12 माह	72000.00
09	सह0 रसोइया	02	4500	12 माह	1,08000.00
10	सहयोगी स्टाफ (चौकीदार/चपरासी /आया) पूणकालिक	03	5000	12 माह	1,80,000.00
11	स्वीपर	01	4000	12 माह	48000.00
	योग				**21,91,200.00**

(ख) कार्यक्रम व्यय–

कम सं0	मद/विवरण	धनराशि
01	भोजन व्यवस्था– भोजन, चाय, नाश्ता आदि पर व्यय रू0 50.00 प्रतिदिन	18,25000.00
02	स्टेशनरी व टी0एल0एम0 एंव अन्य शिक्षणोत्तर सामगी बाल साहित्य, कहानी, अखबार आदि।	1,00,000.00
03	पठन–पाठन सामगी– पाठ्य पुस्तक (कक्षा 1–8 तक) आदि।	1,50,000.00
04	छात्र/छात्रो स्टाइपैड रू0 1200.00 प्रति छात्र/छात्रायें प्रति वर्ष	1,20,000.00
	योग	**21,95,000.00**

(ग) अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय–

कम सं0	मद/विवरण	धनराशि
01	जल, विद्युत आपूर्ति पर व्यय जनरेटर एंव डीजल आदि	1,00,000.00
02	चिकित्सीय व्यवस्था पर व्यय	1,25000.00
03	यूनीफार्म, जूता–मोजा आदि दोनो ऋतुओं की	2,00,000.00
04	छात्र–छात्रा कौशल विकास पर व्यय (व्यवसायिक शिक्षा पर व्यय)	1,00,000.00
05	विद्यालय भवन, हास्टल का किराया रू0 1,00,000.00 प्रति माह	12,00,000.00
06	बालक/बलिका हास्टल व मैदान रख–रखाव पर व्यय	75,000.00
07	अभिवाहक बैठक	20,000.00
08	क्षमता वृद्वि/मिनी कैम्प (तीन दिवासीय)	50,000.00
09	उद्घाटन/स्कूल वार्षिकोत्सव प्रचार–प्रसार हेतु	20,000.00
10	आकस्मिक व्यय	75,000.00
11	आत्म रक्षा प्रशिक्षण	10,000.00
	योग	**19,75,000.00**

बजट सारांश

कम सं0	मद/विवरण	बजट धनराशि
01	मानदेय	21,91,200.00
02	कार्यक्रम व्यय, भोजन, पठन–पाठन आदि का बजट	21,95,000.00
03	व्यवस्थओं पर व्यय/बजट	19,75,000.00
क	अनावर्ती बजट	19,50,000.00
ख	आवर्ती बजट	63,61,200.00
	योग (1+2)	83,11,200.00
	7 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय/बजट	581784.00
	महायोग	**88,92,984.00**

कुल रू0 अठ्ठासी लाख बयानबे हजार नौ सौ चौरासी मात्र

2) प्रस्तावित आमंत्रण का विवरण

पूर्व वर्णित योजना के अन्तर्गत आवंटित जनपदों में, उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 द्वारा सक्षम एवं अनुभवी स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विद्यालयों का संचालन किया जायेगा। संस्थान द्वारा इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

2.1) संस्थान द्वारा सीधे कराये जाने वाले कार्य–

बजट कार्य

- निर्धारित मानकों के अनुसार विद्यालय परिसर का चयन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं यथा क्लास रूम, विद्युत, पानी, स्नानागार, शौचालय, हवा एवं प्रकाशयुक्त आवासीय भवन की व्यवस्था परियोजना प्रमुख, उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- छात्र/छात्राओं के कौशल विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्य संस्थान द्वारा किया जायेगा।

प्रशासनिक कार्य

- प्रत्येक जनपद के लिए संस्थान के एक वरिष्ठ फैकल्टी को निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा। इनके दायित्व निम्नवत् होंगेः–
  - प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आवंटित जनपदों के विद्यालयों का निरीक्षण।
  - पैरा 2.2 में स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रतिनिधानित कार्य की स्थलीय समीक्षा एवं उनका उक्त पैरा में वर्णित शर्तो के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराना।
  - विद्यालय के संचालन में स्थानीय स्तर पर शासन के अन्य महत्वपूर्ण विभागों यथा निकटतम पुलिस स्टेशन, चौकी, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, सी0एम0ओ0, बी0एस0ए0 एवं श्रम विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर विद्यालय से सम्बन्धित सुविधाएं/संसाधन सुनिश्चित करना।
  - अन्य कोई भी कार्य जो विद्यालय के सुरक्षित एवं कुशल संचालन हेतु स्थल पर आवश्यक है।

2.2)– चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं से अपेक्षित कार्य

- निर्धारित योग्यता के अनुसार मानव संसाधन यथा शिक्षक, प्रशिक्षक एवं अन्य समस्त स्टाफ की नियुक्ति का दायित्व स्वयंसेवी संस्था का होगा **(यह नियोजन/नियुक्ति संस्था द्वारा आवेदन में संलग्न चार्ट के अनुसार किया जायेगा)। प्रथम नियुक्ति के उपरान्त** कोई भी परिवर्तन परियोजना प्रमुख के सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- संस्था को सभी बच्चों के यथोचित स्वास्थ्य संरक्षण एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। विद्यालय के निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, उच्चीकृत चिकित्सा केन्द्र एवं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर चिकित्सा व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। दावाओं के प्रयोग में Expiry date का ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक होगा।

- वार्डेन, शिक्षक, चौकीदार एवं रसोइया को दिन–रात निवास कर पठन–पाठन एवं अन्य सहगामी गतिविधियों का संचालन करना है।
- बच्चों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्था की होगी।
- आवासीय विद्यालय एवं विद्यायलय की सम्पति की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयंसेवी संस्था का होगा।
- स्वयंसेवी संस्था को वार्डेन, शिक्षक, प्रशिक्षक एवं अन्य समस्त स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना एवं सम्बन्धित प्रपत्र उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु संस्था द्वारा विद्यालय संचालन का दायित्व लेने से पूर्व वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा (संलग्न फार्म के अनुसार) पुलिस द्वारा जब तक कोई प्रतिकूल आख्या नहीं दी जाती है तब तक फार्म के जमा होने के आधार पर अन्तरिम रूप से कार्मिक यथावत रूप से कार्य करते रहेंगे।
- संस्था को स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी जिससे बच्चे स्वस्थ एवं निरोगी रहें, अतः भोजन व्यवस्था में पर्याप्त सावधानी रखी जायेगी।
- भोजन / नाश्ते आदि में प्रयोग में लाये जाने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ (यथा–तेल, आटा, दूध, मसाले, बिस्कुट आदि) एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा प्रमाणित मानक के ब्राण्ड के ही इस्तेमाल किये जायेगे। प्रयोग में Expiry date का ध्यान अवश्य रखा जायेगा । अन्य खाद्य सामग्री भी उच्च गुणवत्ता की ही प्रयोग में लायी जायेगी। जो कि खाद्य विभाग के निर्धारित मानकों से निम्न नहीं होगी।
- सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से योग, खेल–कूद एवं स्वस्थ्य मनोरंजन कराने की जिम्मेदारी संस्था की होगी।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में समुदाय के युवा वर्ग, स्थानीय कलाकार, शासकीय एवं अशासकीय, कर्मचारी, अपवंचित वर्ग के जागरूक व्यक्तियों और महिलाओं का सहयोग लेना भी आवश्यक होगा।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्पर्क क्षेत्र के अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं, अन्य स्वयं सेवी संगठनों जैसे नेहरू युवा केन्द्र, युवा मण्डल, महिला मण्डल के कार्यकर्ताओं से भी होना चाहिए, जिससे विद्यालय संचालन, शैक्षिक कार्य–कलापों में यथासम्भव सहयेाग लिया जा सके। समुदाय के सहयोग से निम्नलिखित कार्य–कलापों के सम्पादन में सुगमता होगी –
    - विद्यालय में समय–समय पर राष्ट्रीय एवं सामाजिक पर्व के आयेाजन में।
    - खेल–कूद, व्यायाम की व्यवस्था जुटाने में।
    - शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान एवं उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाने एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में।
    - स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के आयोजन में।
    - सेवानिवृत्त अध्यापक, भूतपूर्व सैनिक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का शिक्षण कार्य में सहयोग।

- **उपरोक्त वर्णित योजना के सफल संचालन हेतु कोई भी अन्य आवश्यक कार्य।**
- **बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित कोई भी अन्य आवश्यक कार्यं।**

2.3)– आवासीय विद्यालय योजना के सफल संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं का अनुश्रवण एवं नियंत्रण

- योजना के संचालन हेतु चयनित स्वयंसेवी संस्थाएँ परियोजना प्रमुख, उद्यमिता विकास संस्थान,उ.प्र., लखनऊ के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगी।
- विद्यालय में सभी पदो पर प्रथम नियुक्ति अपने आवेदन में दिये गये चार्ट के अनुसार ही स्वंयसेवी संस्था द्वारा की जायेगी। किसी भी कारण से परिर्वतन/पुनः नियुक्ति की दशा में परियोजना प्रमुख उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ से अनुमोदन आवश्यक होगा।
- आवासीय विद्यालय के सफल, सुचारू एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 के निर्देशन में यथाआवश्यक आवासीय विद्यालय में मानव संसाधन की बैठक, अभिमुखीकरण एवं कार्य की समीक्षा की जायेगी।
- आवासीय विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण एवं शैक्षणिक सहयोग समय–समय पर उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के अतिरिक्त जिला प्रशासन, कर्मकार बोर्ड के अधिकारी, सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- संस्थान तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा नियमित तौर पर इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जायेगा।
- निर्धारित प्रारूप पर समय–समय पर अपेक्षित रिपोर्ट और सूचनाएं स्वयंसेवी संस्था द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- किसी भी कारण से विद्यालय के संस्था विहीन (चयन न होना/हटाया जाना) होने की दशा में उस जनपद में अथवा निकटम जनपद में आवासीय विद्यालय को संचालित कर रही संस्था को इच्छुक होने की दशा में संचाालन कार्य का दायित्व दिया जायेगा।
- संस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन न करने अथवा शिकायत प्राप्त होने की दशा में स्वयंसेवी संस्था से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। निर्धारित समय–सीमा में संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर संस्था को संचालन से पृथक कर दिया जायेगा।
- सुरक्षा संबंधी,अन्य किसी प्रकार की गम्भीर शिकायत, यौन शोषण इत्यादि की दशा में तत्काल प्रभाव से स्वयंसेवी संस्था को कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
- चयनित स्वयंसेवी संस्था को अनुबन्ध के समय रू 5,00,000/–(रूपये पाँच लाख) की जमानत धनराशि उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।
- स्वंयसेवी संस्था द्वारा यदि कोई कार्य मानक से कम किया जाता है तो कार्य की गम्भीरता के अनुरूप उसे तत्समय से लेकर 15 दिवस में वह कार्य वांछित स्तर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये जायेगें। यदि तय अवधि में कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो जमानत राशि से

दण्ड के रूप में व्यय करके परियोजना प्रमुख द्वारा कार्य करवा दिया जायेगा तथा संस्था को उतनी धनराशि पुनः जमानत राशि में जमा करना आवश्यक होगा। अनुबन्ध समाप्त के बाद बिना ब्याज के जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

- स्वयंसेवी संस्था को सी0ए0 से आडिटेड एकाउण्ट्स एवं प्रगति रिपोर्ट आदि अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

3. सामान्य सूचनाये एवं विवरण

3.1)– स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबंध

- चयन के उपरान्त उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 एवं स्वयंसेवी संस्था के मध्य अनुबंध किया जायेगा ।
- चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं का आवासीय विद्यालय योजना के संचालन हेतु अनुबन्ध अवधि एक वर्ष होगी जिसे मूल्यांकन उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः एक वर्ष का कार्य विस्तार दिया जायेगा।
- यदि उद्यमिता विकास संस्थान उ0प्र0 को कर्मकार बोर्ड द्वारा योजना की अवधि विस्तार मिलता है तो वर्षानुवर्ष संस्थान द्वारा स्वंयसेवी संस्थाओं के गुणवत्तापूर्ण विद्यालय संचालन के आधार पर कार्य विस्तार दिया जायेगा।
- सेवा के नवीनीकरण करने का प्रशासनिक अधिकार संस्थान के पास रहेगा अर्थात् नवीनीकरण के कोई अधिकार स्वयंसेवी संस्था के पक्ष में स्थापित नहीं रहेगा।

3.2)– स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हता एवं पात्रता

- स्वयंसेवी संस्था राज्य में लागू अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत हो, पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने तक वैध हो तथा उसका नवीनीकरण भी निरन्तर कराया गया हो। **(निरन्तर नवीनीकरण होने के सभी अभिलेख संलग्न करें)**
- यदि किसी स्वयंसेवी संस्था ने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है तो उसके प्रस्ताव पर डेस्क एप्रेजल हेतु विचार किया जायेगा, परन्तु स्वीकृत हेतु नही। संस्था को अनुबंध करने से पूर्व नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(नवीनीकरण हेतु आवेदन की पावती संलग्न करें)**
- स्वयंसेवी संस्था को गत 03 वर्षों में कम से कम कुल राशि रू0 25.0 लाख का अनुदान राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, केन्द्र एवं राज्य सरकार/विभाग अथवा उसके उपक्रम से प्राप्त हुआ हो। **(प्राप्त कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें)**
- स्वयंसेवी संस्था द्वारा विगत 03 वर्षों की चार्टड एकाउण्टेंट द्वारा **प्रमाणित आडिट आख्या एवं बैलेंशसीट संलग्न करें ।**

(जिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा वर्ष 2013–14 में संचालित सचल पालना गृह योजना में कार्य किया है, इस योजना के अन्तर्गत आवेदन के पात्र नहीं है)

3.3)– स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन मानक–

- गुणांक के आधार पर।
- एक स्वयंसेवी संस्था को सामन्यतया केवल एक विद्यालय के संचालन का दायित्व दिया जायेगा।

तालिका–(अ) कार्य अनुभव एवं अन्य

क्र.सं.	विवरण	प्राप्तांक
1	01 अक्टूबर, 2018 को सोसाइटी पंजीकृत हुए वर्ष–**(सभी नवीनीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें, जितने वर्ष का नवीनीकृत प्रमाण संलग्न होगा उतने ही वर्ष का कार्य अनुभव माना जायेगा)**	
	11–15 वर्ष एवं ऊपर	10
	06–10 वर्ष	7
	01–05 वर्ष	5
2	उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु संचालित परियोजनाओं के अर्न्तगत कार्य का अनुभव **(कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**	
	11–15 कार्यक्रमों से अधिक	10
	06–10 कार्यक्रम	7
	01–05 कार्यक्रम	5
3	आवासीय व्यवस्था के स्कूल, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वृद्धा आश्रम एवं बाल गृह संचालन का अनुभव **(बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 के महिला कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित), (कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**	
	05 एवं 05 से अधिक	15
	03–04	10
	01–02	5
4	केन्द्र/राज्य सरकार, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों/ संस्थाओं से अनुदान प्राप्त संचालित परियोजनाएं **(कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**	
	10 एवं 10 से अधिक	10
	05–09	5
	01–04	2
5	स्वयंसेवी संस्था राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/ उपक्रमों में विकास/ शिक्षापरक कार्य हेतु इम्पैनेल्ड है **(इम्पैनलमेण्ट आदेश प्रति संलग्न करें)**	10
	राज्य सरकार	5
	भारत सरकार	5
6	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा आडिटेड रिपोर्ट के अनुसार संस्था की वित्तीय स्थिति (विगत 03 वर्षों में) **(वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–2017)**	
	51 लाख से अधिक टर्न ओवर	15
	26–50 लाख तक टर्न ओवर	10
	25 लाख तक टर्न ओवर	5
7	प्रमाणित आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र **(प्रमाण पत्र संलग्न करें)**	5

8	विगत 03 वर्षों से निरन्तर ITR भरा जा रहा है (2014–2015, 2015–16, 2016–17) ITR संलग्न करें।	5
9	राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वाहरी मूल्यांकन / आडिट एजेंसी द्वारा स्वयंसेवी संस्था का मूल्यांकन (मुल्यांकन प्रमाण पत्र संलग्न करें)	5
10	स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रस्तावित जनपद में विगत तीन वर्षो के दौरान किए गए कार्य– **(कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**	15
	कार्यक्रमों की सं0–50 से अधिक	15
	कार्यक्रमों की सं0–25 से 50	10
	कार्यक्रमों की सं0–25 से कम	5
	योग (अधिकतम अंक)	**100**

उपरोक्त दस्तावेज सम्मिलित नहीं करने पर संबन्धित अंक प्राप्त नहीं होगें आधी अधूरी सूचना प्राप्त होने की दशा में प्राप्त प्रप़त्रों के आधार पर जितने अंक बनते है उतने ही दिये जायेगें।

तालिका–(ब) मानव संसाधन

मानव संसाधन गुणांक –

क्र0 सं0	पद	न्यूनतम अर्हता	नाम	वर्तमान शैक्षिक योग्यता	न्यूनतम अर्हता अंक	उच्चतर शैक्षिक योग्यता अंक	कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्य अनुभव (न्यूनतम छः माह)–अंक	प्राप्तांक	`विहान विद्यालय मेंकार्यरत होने का अंक	कुल योग
1.	विद्यालय अधीक्षक (पूर्णकालिक)	प्रशिक्षित (बी0एड0 / बी0टी0सी0) परास्नातक								
2.	भाषा शिक्षक (अंग्रेजी, हिन्दी) (पूर्णकालिक)	प्रशिक्षित (बी0एड0 / बी0टी0सी0) स्नातक								
3.	गणित शिक्षक (पूर्णकालिक)	प्रशिक्षित (बी0एड0 / बी0टी0सी0) स्नातक								
4	सामाजिक विषय शिक्षक (पूर्णकालिक)	प्रशिक्षित (बी0एड0 / बी0टी0सी0)स्नातक								
5.	दिवस शिक्षक (भाषा, गणित एवं पर्यावरण शिक्षक)	प्रशिक्षित (बी0एड0 / बी0टी0सी0) स्नातक								
6.	उर्दू शिक्षक (अंशकालिक)	स्नातक के साथ सम्बंधित विषय में डिप्लोमा								
7.	लेखाकार	बी–काम एवं एकाउन्टिंग का अनुभव								
8.	मुख्य रसोइयां	हाई स्कूल								
9.	सह. रसोइयां	कक्षा 5								
10	सहयोगी स्टाफ (चौकीदार / चपरासी / आया) पूर्णकालिक	हाईस्कूल								
11.	स्वीपर	कक्षा 5								

- चयनित संस्था को विद्यालय में प्रथम नियुक्ति उपरोक्त प्रस्तुत चार्ट के अनुसार करना अनिवार्य है।

- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित न्यूनतम अर्हता पर समस्त कर्मचारियॉ की उपलब्धता आवश्यक है।
- प्रस्तावित कार्मिक की शैक्षिक योग्यता उस पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से उच्चतर होने पर उसे निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अन्तर के बराबर के अंक दिये जायेगें।
- जिस पद हेतु मूल शैक्षिक अर्हता के साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा मांगा गया है उसमें प्रोफेशनल डिग्री के साथ यदि प्रस्तावित कार्मिक की अर्हता न्यूनतम से अधिक है तो उसे भी इसी प्रकार अंक दिये जायेंगे। (यदि बी0एड0 मांगा गया है और एम0एड0 है तो 01 अंक अधिक दिये जायेंगें)
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उच्चतर प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र की प्रति पद के क्रम संख्या में संलग्न करना आवश्यक है साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्य अनुभव हेतु तत्समय प्राप्त नियुक्ति पत्र/सैलरी शीट/प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
- पठन पाठन की व्यवस्था यथा संभव निर्वाध एवं सुचारू रूप से चलाये रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि आवेदित विहान विद्यालय में पूर्व से कार्यरत स्टाफ जो कि दिनांक 01.10.2018 से कार्यरत है को नई संस्था के साथ बनाये रखने को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु आवेदक संस्थाओं को छूट है कि संस्थान के विहान विद्यालय में 01.10.2018 से कार्यरत स्टाफ से वार्ता कर संस्था के साथ कार्य करने की सहमति प्राप्त सकते है। चूकिं किसी एक ही स्वयं सेवी संस्था को विद्यालय संचालन का दायित्व मिलेगा अतः एक से अधिक संस्थाओ को एक ही स्टाफ से वार्ता उपरान्त अपनी प्रस्तावित स्टाफ सूची संलग्न करने की स्वत्रंतता होगी।
- आवेदित विहान विद्यालय में सेवारत कर्मी को वरीयता दी जायेगी, जिसके लिए उसे स्वघोषित प्रमाण पत्र देना होगा जिसे विद्यालय में उपलब्ध पत्रावलियों से मिलान कर लिया जायेगा।
- **अर्हता के स्तर निम्नवत् होंगे**

स्तर अंक	अर्हता स्तर
1	कक्षा 5
2	कक्षा 8
3	कक्षा 10
4	कक्षा 12
5	डिप्लोमा
6	स्नातक
7	परास्नातक
8	एम फिल
9	पी एच डी
10	डी लिट्
05	कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्य अनुभव

05	आवेदित विहान विद्यालय में कार्यरत

(अंक गणना का उदाहरण–यदि किसी पद के सापेक्ष न्यूनतम अर्हता स्नातक स्तर की है एवं कार्मिक की शैक्षिक योग्यता पी0एच0डी0 है तो उसको

पी0एच0डी0 = 09 - स्नातक = 06 = 03 अंक प्राप्त होंगे।)

- स्वयंसेवी संस्था का चयन उपरोक्त तालिका ''अ'' एवं ''ब'' के योग से प्राप्त उच्चतम अंक आधार के क्रम में, किया जायेगा।
- समान अंक पाने की दशा में तालिका ''ब'' में अधिक अंक पाने वाली संस्था का चयन किया जायेगा। पुनः अंक बराबर होने की दशा में चयन परियोजना प्रमुख, उद्यमिता विकास संस्थान उ0प्र0 के विवेक पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वयं सेवी संस्था का कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नही होगा।

3.4)– विद्यालय संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान की प्रक्रिया–

- स्वयंसेवी संस्थाओं को विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कार्यो/व्ययों का भुगतान मासिक प्रतिपूर्ति के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। इस हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा परियोजना प्रमुख, उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0 को अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से बिल एवं मांग प्रस्तुत करना होगा।
- स्वयंसेवी संस्था को प्रतिपूर्ति हेतु समस्त व्ययों के सम्यक बिल प्रस्तुत करने होंगे।
- मासिक समीक्षा में सभी कार्यों का मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
- संस्था द्वारा किसी भी कारण से विद्यालय के संचालन में धनाभाव दर्शाते हुये गुणवत्ता में कमी किसी भी स्थित में स्वीकार्य नहीं होगी । इसके बावजूद भी विद्यालय संचालन में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जायेगा।

3.5)– आवेदन प्रक्रिया –

- निर्धारित प्रारूप पर सभी आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों के साथ में आवेदन पत्र संस्थान को प्रेषित किया जाय। अपूर्ण आवेदन पत्र/संलग्नक की दशा में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- संस्थान स्वयंसेवी संस्थाओं को ई–मेल के माध्यम से आवेदन करने को प्रोत्साहन देता है जिससे डाक विलम्ब,किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन जमा करने से रोके जाने एवं दस्तावेज से छेड़छाड की सम्भावना नहीं रहे क्योंकि ई–मेल पर संलग्नक अपरिवर्तनीय रहता है। अतः पुनः इस बात पर जोर दिया जाता है कि आवेदन यथा सम्भव ई–मेल (PDF) से ही करें **डाक एवं व्यक्तिगत प्रेषण की दशा में उपरोक्त वर्णित सम्भावनाओं की शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।**
- पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2018 को सांय 05.00 बजे तक निम्न पते पर स्वीकृत किये जायेंगे।

- व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र कक्ष सं0–31, **उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, ए–1व 2 औद्योगिक क्षेत्र, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ 226008**

अथवा

- डाक द्वारा निम्न पते पर प्रेषित किये जा सकते हैं– **परियोजना प्रमुख (विहान विद्यालय), उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, ए–1व 2 औद्योगिक क्षेत्र, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ 226008**

अथवा

- ई–मेलः– iedupvihan@gmail.com

नोट–कम आवेदन प्राप्त होने की दशा में समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

अपरिहार्य कारणोवश चयन प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के पास निहित होगा

4) आवेदन पत्र का प्रारूप–

दिनांक................................

सेवा में

परियोजना प्रमुख (विहान विद्यालय)
उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ
ए–1व 2 औद्योगिक क्षेत्र, सरोजनी नगर,
कानपुर रोड, लखनऊ 226008

विषयः–जनपद .... विहान आवासीय विद्यालय संचालन हेतु आवेदन पत्र।

महोदय

कृपया संस्थान द्वारा दिनांक 31.10 2018 को दैनिक जागरण संस्करण .... समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन तथा संस्थान के website:www.iedup.in पर दिये गये पूर्ण विवरण जो विहान आवासीय विद्यालय संचालन के सम्बंध में है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। (संस्था का नाम)... जनपद......... के बालक/बालिका विहान विद्यालय के संचालन हेतु इच्छुक है एवं इस हेतु संस्था अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही है।

कृपया अवगत होना चाहे कि अधोहस्ताक्षरी संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत है। उपर्युक्त योजना हेतु ....(संस्था का नाम).......इस आवेदन पत्र में दी जा रही सभी सूचनाये एवं अभिलेख सत्य है। उद्यमिता विकास संस्थान,उ0प्र0 द्वारा अगर कभी भी कोई सूचना या अभिलेख असत्य या कूटरचित पाया जाता है तो संस्था का आवेदन /योजना संचालन संस्थान द्वारा निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी ।

आप से अनुरोध है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करने की कृपा करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर
(संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)

प्रस्तावित जनपद ....
विद्यालय (बालक/बालिका) ....

4.1 संस्था/एजेन्सी का सामान्य विवरण

क्र0सं0	विवरण	विस्तृत ब्यौरा
01	संस्था/एजेन्सी का नाम	
02	पंजीकृत कार्यालय/पत्राचार का पता, पिन कोड	
03	संस्था का स्वरूप, एन0जी0ओ0/ट्रस्ट एवं अन्य (नवीनीकृत/आवेदन की प्रति संलग्न करें।)	
04	पैन न0 (प्रति संलग्न करें)	
05	12ए (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें)	
06	जी0 एस0 टी0 न0 (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें)	
07	टिन न0 (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें)	
08	दूरभाष/मोबाइल नं0	
09	फैक्स	
10	ई–मेल	
11	सम्पर्क व्यक्ति/अधिकारी का नाम एवं मो0नं0	
12	क्या संस्था ने विगत तीन वर्षो में राज्य/भारत सरकार के किसी भी विभाग से रू0 25.00 लाख के कार्यक्रम किये है। (यदि हॉ तो कार्यादेश प्रति संलग्न करें)	
13	क्या संस्था के लेखे गत तीन वर्षो से लगातार ऑडिट हुये है। (यदि हॉ तो प्रपत्र संलग्न करें)	
14	रू0 2,500.00 (प्रोसेसिंग शुल्क, नान रिफण्डेबल) उद्यमिता विकास संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें।	ड्राफ्ट सं0 ....
15	दिये गये प्रारूप के अनुसार रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र संलग्न करे।	

इस प्रपत्र में वर्णित सभी संलग्नक आवश्यक है। सभी संलग्नक न होने की दशा में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.2 तलिका (अ) –कार्य अनुभव एवं अन्य

क्र.सं.	विवरण	कृपया ✓ करें	प्राप्तांक*
1	01 अक्टूबर, 2018 को सोसाइटी पंजीकृत हुए वर्ष–**(सभी नवीनीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें, जितने वर्ष का नवीनीकृत प्रमाण संलग्न होगा उतने ही वर्ष का कार्य अनुभव माना जायेगा)**		
	11–15 वर्ष एवं ऊपर		
	06–10 वर्ष		
	01–05 वर्ष		
2	उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु संचालित परियोजनाओं के अर्न्तगत कार्य का अनुभव **(कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**		
	11–15 कार्यक्रमों से अधिक		
	06–10 कार्यक्रम		
	01–05 कार्यक्रम		
3	आवासीय व्यवस्था के स्कूल, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वृद्धा आश्रम एवं बाल गृह संचालन का अनुभव **(बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 के महिला कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित), (कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**		
	05 एवं 05 से अधिक		
	03–04		
	01–02		
4	केन्द्र/राज्य सरकार, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों/ संस्थाओं से अनुदान प्राप्त संचालित परियोजनाएं **(कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**		
	10 एवं 10 से अधिक		
	05–09		
	01–04		
5	स्वयंसेवी संस्था राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/ उपक्रमों में विकास/ शिक्षापरक कार्य हेतु इम्पैनेल्ड है **(इम्पैनलमेण्ट आदेश प्रति संलग्न करें)**		
	राज्य सरकार		
	भारत सरकार		
6	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा आडिटेड रिपोर्ट के अनुसार संस्था की वित्तीय स्थिति (विगत 03 वर्षों में) **(वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–2017)**		
	51 लाख से अधिक टर्न ओवर		
	26–50 लाख तक टर्न ओवर		
	25 लाख तक टर्न ओवर		
7	प्रमाणित आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र **(प्रमाण पत्र संलग्न करें)**		
8	विगत 03 वर्षों से निरन्तर ITR भरा जा रहा है (2014–2015, 2015–16, 2016–17)		

9	राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वाहरी मूल्यांकन / आडिट एजेंसी द्वारा स्वयंसेवी संस्था का मूल्यांकन		
10	स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रस्तावित जनपद में विगत तीन वर्षो के दौरान किए गए कार्य– **(कार्य आदेश प्रति संलग्न करें)**		
	कार्यक्रमों की सं0–50 से अधिक		
	कार्यक्रमों की सं0–25 से 50		
	कार्यक्रमों की सं0–25 से कम		
	योग (अधिकतम अंक)		

4.2 तालिका(ब)– मानव संसाधन

क्र0 सं0	पद	नाम	वर्तमान शैक्षिक योग्यता (शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	उच्चतर शैक्षिक योग्यता अंक *	कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्य अनुभव (न्यूनतम छः माह) (नियुक्ति / वेतन स्लिप संलग्न करें)	अंक *	विहान विद्यालय मेंकार्यरत होने का अनुभव	अंक *	कुल योग
1.	विद्यालय अधीक्षक (पूर्णकालिक)								
2.	भाषा शिक्षक (अंग्रेजी, हिन्दी) (पूर्णकालिक)								
3.	गणित शिक्षक (पूर्णकालिक)								
4	सामाजिक विषय शिक्षक (पूर्णकालिक)								
5.	दिवस शिक्षक (भाषा, गणित एवं पर्यावरण शिक्षक)								
6.	उर्दू शिक्षक (अंशकालिक)								
7.	लेखाकार								
8.	मुख्य रसोइयां								
9.	सह. रसोइयां								
10	सहयोगी स्टाफ (चौकीदार / चपरासी / आया) पूर्णकालिक								
11.	स्वीपर								

***चिन्हित कालम में अंक, उद्यमिता विकास संस्थान उ0प्र0 द्वारा गणना कर भरा जायेगा।**

सक्षम अधिकारी

शपथ पत्र

मैं शपथी .... उम्र लगभग ...... वर्ष पुत्र .... निवासी .... का हूँ जो कि शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ :–

- मेरी स्वयंसेवी संस्था ....को किसी भी विभाग/संस्था/अभिकरण द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- मेरी स्वयंसेवी संस्था .... उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा वर्ष 2013–14 में संचालित सचल पालना गृह योजना में कार्य नहीं किया है।
- मेरी स्वयंसेवी संस्था .... के सम्पूर्ण पदाधिकारी व सदस्य किसी ऐसी संस्था से नहीं जुड़े है जो पूर्व में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा वर्ष 2013–14 में संचालित सचल पालना गृह योजना में कार्य किया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संस्था की होगी।
- मेरी स्वयंसेवी संस्था .... का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य बाल/महिला अपराध अथवा किसी भी तरह के जुर्म का दोषी नहीं है।
- मेरी स्वयंसेवी संस्था .... द्वारा संचालित किसी योजना–परियोजना/कार्यक्रम को मध्यावधि में ही राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निलम्बित नही किया गया, तथा किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संगठन/व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की जांच के दायरे में अथवा कानूनी वाद–विवाद के घेरे में नही डाला गया है अथवा संस्था के पदाधिकारियों पर संस्था द्वारा संचालित किसी कार्यक्रम/परियोजना के धन के दुरूपयोग का मामला किसी न्यायालय में पंजीकृत नही है, **(उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक है यदि कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा)**

शपथी

मै शपथी सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की उक्त धारा मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। आज दिनांक .... को उपरोक्त शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर बनाकर प्रमाणित किया।

शपथी

(कृपया उपरोक्तानुसार शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर संलग्न करें)

POLICE VERIFICATION FORM

S.no.	Particulars				
1.	Full Name with aliases, if any (please indicate if you have added or dropped at any stage any part of the name/surname)				PHOTO (To Be Pasted)
2.	Present address in full, with Poilce Station, District & State				
3.	Home/Permanent Address in Full with police Station, District & State				
4.	Particulars of places with periods of residence where you have resided during the preceding 2 years (Verify only Delhi Residing period.)				
	Period		Address In Full with Police Station, District & State		
	From	To			
5.	Father's name in Full With aliases, if any		Nationality		
	Place of Birth	Occupation (If employed give designation & Office	Present Address	Permanent Address	
6.	Applicant's Nationality				
7.	Date Of Birth				
8.	Two marks of Identification				
9.	Educational Qualification showing place of education with years in schools and colleges since 15 years of age				
	Name of college / school with full address	From	To	Examination Passed	
				High School/SSC	
				Intermediate	
				Graduate	
				Post Graduate	

10.	Employment Related Aspects				
	Period	Designation	Full Name & Address of Employer / Organization	Nature Of Employment	Reason for Leaving previous services

11.	If the previous employment was under the Govt. of India/State Govt of	
	Undertaking owned or controlled by govt./Autonomous Body	
	University/Local body, State briefly whether you had been terminated	
	Removed or dismissed from service on any disciplinary proceedings	
	Charged or had you been called to explain your conduct in any matter before or at a subsequent date of your actual termination	
	Dismissal/Removal/Retirement, etc...	

12.	Have you ever been arrested?	Yes	No
	Have you ever been prosecuted?	Yes	No
	Have you ever been kept under detention?	Yes	No
	Have you ever been bound down?	Yes	No
	Have you ever been find by a court of law?	Yes	No
	Have you ever been convicted by a court of law?	Yes	No
	Is any case pending against you in any court of law?	Yes	No
	Whether discharged/expelled withdraw from any training institution Under the Govt. or otherwise?	Yes	No
	Have you ever been involved in any Police or Criminal Case?	Yes	No

13.	Name & Address of 2 responsible persons other than relatives to whom you are known:	

I certify that the above information is correct and compete to the best to my knowledge and belief.

Counter Signature of Employer / Authorized. Signatory with Stamp

Signature of Applicant

Date:___/___/_____